



संदर्भ संख्या: एसवीएसयू/23/कु.स.का./188

दिनांक: 01/09/2023

### अधिसूचना

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला श्रमिकों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं:

1. प्रो. प्रिया सोमैया, डीन-एसएफएमएसआर, एसवीएसयू, (संयोजक)
2. डॉ श्रुति गुप्ता, स्किल एसोसिएट प्रोफेसर, एसवीएसयू
3. डॉ प्रीति, कौशल सहायक प्रोफेसर, एसवीएसयू
4. श्री राजेश चौहान, पीआरओ, एसवीएसयू
5. श्री केशव शर्मा, विधि अधिकारी
6. श्री सुंदर, सहायक
7. सुश्री काजल छिबबर, साथी फाउंडेशन की अध्यक्ष
8. किसी भी छात्र की भागीदारी के मामले में तीन छात्र प्रतिनिधि (स्नातक, परास्नातक, शोधार्थी स्तर)।

समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए होगा भूमिकाएं और उत्तरदायित्व यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला श्रमिकों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियमन, 2015 के अनुसार होंगी।

कुल सचिव  
एसवीएसयू, गुरुग्राम

#### प्रतिलिपि:

1. अधिष्ठाता, एसएफएमएसआर
2. डॉ श्रुति गुप्ता, स्किल एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ प्रीति, कौशल सहायक प्राध्यापक
4. श्री राजेश चौहान, जनसंपर्क अधिकारी



## श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय

(हरियाणा सरकार अधिनियम 25, 2016 के तहत अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय)

प्लॉट नंबर 147, सेक्टर 44, गुरुग्राम (हरियाणा) 122003, ईमेल: [Info@svsu.ac.in](mailto:Info@svsu.ac.in)

5. श्री केशव शर्मा, विधि अधिकारी
6. श्री सुंदर, सहायक
7. सुश्री काजल छिब्बर, साथी फाउंडेशन की अध्यक्ष
8. सभी अधिष्ठाता
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. आई /सी, आईटी सेल (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)
11. विशेष कर्तव्य अधिकारी कुलपति के लिए (माननीय कुलपति को सादर सूचनार्थ)